10/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश न करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। कथा उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा T.I प्रार्थना पत्र स्वीकार मूल के वाद के निस्तारण तक स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। प्रस्तुत बहस व अधिवक्ताओ की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र T.I स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 27.02.2013 आदेश को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] लोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.02.05 14:53:00 IST
Reason: SelfAttested